न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं–05/2020 प्रवेश दिनांक 03.01.2020 निर्णय दिनांक 28.09.2021

GCMS NO 2020/00019

उनवान

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का मजेडा तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1.कल्याण पुत्र ग्यारसा निवासी ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर

2.गणेशराम पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का मजेडा द्वारा ग्राम कान्दोली के आराजी ख0 नं0 210 रकबा 0.22 है0 किस्म बारानी उत्तम खातेदारी कृषि भूमि में गैरसायलान कल्याण पुत्र ग्यारसा, गणेशराम पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा 1100 वर्गमीटर भूमि पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपानन्तरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायलान को भूमि रूपान्तरण हेतु समय दिया गया। रूपान्तरण नहीं कराये जाने पर कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायलान के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायलान द्वारा अपने बचाव में सुनवाई तिथि को न्यायालय में कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः कल्याण पुत्र ग्यारसा, गणेशराम पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर के विरुद्ध बिना स्वीकृति के ग्राम कान्दोली के आराजी ख0 नं0 210 रकबा 0.22 है0 में से 1100 वर्गमीटर भूमि पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कर उपयोग करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर लगान 1.32 रूपये का पचास गुणा राशि 66.00/– रूपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें। चूंकि गैरसायलान का दे कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकति उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तो के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषिभूमि शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के

तहसीलदार
राजगढ (अलवर)

अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

आज दिनांक 28.09.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 17 प्रक. 90 रु. 66/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार

नोट: निवासी थाना राजगढ़ की जगह थाना गाजी पढा जावे एवं तहसील राजगढ की जगह थाना गाजी पढा जावे।

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)